



# पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: [www.shekhauni.ac.in](http://www.shekhauni.ac.in) ई-मेल: [reg.shekhauni@gmail.com](mailto:reg.shekhauni@gmail.com)

कमाक:प-09 ( ) सम्बद्धता/2025-26/28680

दिनांक: 20/01/2025

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में सम्बद्धता (सत्र 2025-26) के लिए महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऑन-लाईन आवेदन-पत्र के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश :-

1. सत्र 2025-26 की सम्बद्धता हेतु ऑन-लाईन आवेदन भरने के लिये विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.shekhauni.ac.in](http://www.shekhauni.ac.in) का प्रयोग कर Affiliation पर क्लिक करें उसके बाद Apply Online पर क्लिक करें उसके बाद For Fresh Programme, Extension for Already Affiliated College/Temporary Affiliation & Permanent Affiliation में से जिसकी सम्बद्धता हेतु फॉर्म भरना चाहते हैं उसी पर क्लिक करें तथा चाही गई सूचनाएं भर कर Submit पर क्लिक करने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार करने के पश्चात् संबंधित महाविद्यालय द्वारा दिये गये ई-मेल आई.डी. पर User I.D. & Password प्राप्त होगा।
2. Online Affiliation Form Link पर क्लिक करें एवं User I.D. & Password का प्रयोग कर, Login पर क्लिक करें, तत्पश्चात् Continue पर क्लिक करें।
3. सम्बद्धता आवेदन फॉर्म Part -I, Part -II, Part -III, Part -IV, Part -V, & Part -VI (छ भागों) में है। प्रत्येक भाग में चाही गयी सूचनाएं भरकर Save & Proceed पर क्लिक करें।
4. चाहे गये आवश्यक दस्तावेज pdf file में अपलोड करें।
5. जहां भी Add लिखा हुआ है, संबंधित सूचनाएं भरकर Add पर क्लिक अवश्य करें।
6. **सम्बद्धता शुल्क का भुगतान :** सम्बंधित महाविद्यालय/समिति के द्वारा संचालित खाते से ही **On Line Payment Gateway System** के द्वारा **Credit Card/Debit Card/UPI/Net Banking and Wallets** के माध्यम से किया जाना है। भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि सम्बद्धता हेतु किये जाने वाले निर्धारित शुल्क का विवरण सही है (यथा आवेदन शुल्क, सम्बद्धता शुल्क तथा निरीक्षण शुल्क यदि कोई हो)। निर्धारित शुल्क से कम शुल्क का भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। यदि कोई महाविद्यालय निर्धारित तिथि तक निर्धारित शुल्क से कम का भुगतान करता है तो वह अधिसूचना में वर्णित विलम्ब शुल्क/शास्ति का भागीदार होगा।
7. सम्बद्धता आवेदन में सम्पूर्ण सूचनाएं भरने के पश्चात् सम्बद्धता शुल्क के भुगतान हेतु **Payment** पर क्लिक कर **On Line** भुगतान करें।
8. सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन भरा गया आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न सूची अनुसार समस्त दस्तावेजों का सचिव द्वारा सत्यापित कर विश्वविद्यालय सम्बद्धता शाखा में निर्धारित समयवधि में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा यदि उनमें कोई असत्यता पाई जाती है तो उसके लिए संस्था सचिव पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय से 500/- रु. प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र जमा किया जावेगा।
9. सभी महाविद्यालयों को अपने महाविद्यालय की वेबसाईट पर समस्त जानकारियां जैसे-संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण/शिक्षकों का विवरण/प्रवेशित छात्रों की संख्या/सोसाईटी से सम्बन्धित सभी दस्तावेज/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र/विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश/NCTE का मान्यता पत्र/यूजीसी द्वारा जारी 2F/12B प्रमाण पत्र (जो भी लागू हो) को प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है उक्त जानकारियों व महाविद्यालय वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ के प्रिंट को पत्रावली के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. इस विश्वविद्यालय से अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालयों को महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याताओं का विवरण व महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचनायें ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरना तथा अपने महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड करना आवश्यक है। महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याताओं की शैक्षणिक योग्यता यूजी.सी./"राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् (NCTE) (जो भी लागू हो) के नियमानुसार होगी।

महाविद्यालयों के द्वारा पाठ्यक्रम/विषयों की स्थायी सम्बद्धता लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि आपके महाविद्यालय में समस्त कार्मिकों की नियमानुसार नियमित नियुक्ति हुई है तथा विश्वविद्यालय से नियुक्तियों का अनुमोदन करवाया जाना अनिवार्य है तथा उन प्राचार्य/व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित वेतनमान तथा नियमानुसार पी.एफ. व ग्रेच्युटी प्रदान किए जाने से सम्बन्धित समिति के सचिव/अध्यक्ष के द्वारा शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा साथ ही अनुमोदित प्राचार्य/व्याख्याताओं का विवरण महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।

11. इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सीकर एवं झुन्डुनू जिलों में स्थित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय नियमानुसार प्राचार्य/व्याख्याताओं का अनुमोदन करवाया जाना अनिवार्य है।
12. सम्बद्धता आवेदन पत्र भरते समय शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाँफ की पूर्ण सूचना ऑनलाईन भरना अनिवार्य है तथा कार्मिकों के दस्तावेज आवेदन पत्रावली के साथ जमा नहीं करवाने हैं। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का किसी भी समय निरीक्षण करने पर महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाँफ के दस्तावेजों को तैयार रखें। यदि कोई कार्मिक महाविद्यालय छोड़कर जाता है या सेवानिवृत्त होता है तो उसकी सूचना लिखित में शीघ्र ही विश्वविद्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
13. महाविद्यालय इस आशय का निर्धारित शपथ-पत्र (राशि 100/- का नॉन ज्यूडिशियल) जिसमें यह उल्लेख हो कि "एक ही भूमि एवं भवन के आधार पर एक से अधिक महाविद्यालय/विद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं की है, साथ ही महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार/NCTE (जो भी लागू हो) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों की पूर्ण पालना की गई है।"
14. **On Line सम्बद्धता आवेदन भरते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु Help Line No 9151006032, 9151006023 या E-Mail ID – [Aff.shekhauni@gmail.com](mailto:Aff.shekhauni@gmail.com) पर सम्पर्क करें।**
15. सम्बद्धता शुल्क का **On Line भुगतान करते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु Help Line No 8875007632, 8875007631 (Axis Bank), 8005908183 (HDFC Bank) पर सम्पर्क करें।**
16. सत्र 2025-26 में सम्बद्धता चाहने वाले ऐसे महाविद्यालय जिनको अनापत्ति प्रमाण पत्र/मान्यता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी होना शेष है उन्हें इसी अधिसूचना के अन्तर्गत आवेदन करना है
17. सत्र 2025-26 के सम्बद्धता शुल्क में किसी भी पूर्व बकाया शुल्क का समायोजन नहीं होगा।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव

दिनांक 20/01/2025

क्रमांक: प-09 ( ) सम्बद्धता/2025-26/28681-685

1. निजी सचिव, कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
2. वित्त नियंत्रक/लेखा शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
3. परीक्षा नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
4. सहायक कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

20

उपकुलसचिव(शैक्षणिक)